/

एसएमटी। रेखा जैन और ए. एन. आर. वी.

उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. (2022 की आपराधिक अपील संख्या 136)

/

फरवरी 3,2022

[न्यायमूर्ति एम**.** आर**.** शाह और न्यायमूर्ति बी**.** वी**.** नागरत्ना।**]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.482-आपराधिक कार्यवाही यू/एस. एस.406, 420, 467, 468, 471 और 120-बी भारतीय दंड संहिता सी.-अपीलकर्ता-अभियुक्त सहित छह अभियुक्त-एफ़. आई. आर. में आरोप है कि एक सह-अभियुक्त ने शिकायतकर्ता और अन्य व्यक्तियों के धन का दुरुपयोग किया था, जिसके बाद वर्ष 1998-199 में प्रश्न संपत्ति को देय राशि के खिलाफ कुर्क किया गया था; और वर्ष 2019 में, संपत्ति अपीलार्थियों द्वारा खरीदी गई थी-उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया-का औचित्य-आयोजित:न्यायोचित नहीं-मुख्य आरोप सह-अभियुक्तों के खिलाफ थे-अपीलकर्ताओं के खिलाफ केवल आरोप था कि उन्होंने प्रश्न संपत्ति खरीदी-यहां तक कि प्राथमिकी में किए गए कथनों और आरोपों से भी, अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया गया-अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना विधि और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, और अपीलकर्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान करना-जहां तक अपीलकर्ताओं का संबंध है, आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया-भारतीय दंड संहिता सी.-एस.406, 420, 467, 468, 471 और 120-बी।

/

/

/

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.** शिकायत**/**एफ**.** आई**.** आर**.** में आरोपों को देखने के बाद**,** यह देखा जा सकता है कि मुख्य आरोप अन्य सह**-**अभियुक्तों के खिलाफ हैं।अपीलार्थियों के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि उन्होंने प्रश्न संपत्ति खरीदी है**,** जिसे वर्ष **1998-1999** में जमाकर्ताओं को देय और देय राशि के खिलाफ कुर्क किया गया था**,** जिन्होंने **1998-1999** के बीच कुबेर म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड में जमा किया था।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संपत्ति को अपीलार्थियों द्वारा वर्ष **2019** में खरीदा गया है।अभिलेख पर कुछ भी नहीं लाया

गया है कि उस समय जब संपत्ति अपीलार्थियों द्वारा खरीदी गई थी, कुर्की जारी रखी गई थी और/या कोई कुर्की दर्ज की गई थी।कोई आरोप नहीं हैं ए

/

/

/

509

510 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 1 एस. सी. आर.

कि अपीलार्थी अन्य सह-अभियुक्त से संबंधित हैं।एफ. आई. आर. के कथनों और आरोपों से भी यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा **406,420,467,468,471** और **120-**बी के अंतर्गत अपराधों के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है। मुख्य आरोप अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ हैं।इसलिए, अपीलार्थियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना विधि की प्रक्रिया और न्यायालय का दुरुपयोग होगा और अपीलार्थियों को अनावश्यक रूप से परेशान करना होगा, जो बिक्री के भुगतान पर संपत्ति के खरीदार प्रतीत होते हैं।मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता **482** के अंतर्गत अपनी शक्तियों और विवेक का प्रयोग करना चाहिए था और अपीलार्थियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना चाहिए था। **[**पैरा **6] [512-**जी**-**एच**; 513-**ए**-**डी**]**

/

/

2. जहां तक अपीलार्थियों का संबंध है, आरोप पत्र सहित भारतीय दंड संहिता सी. की धारा **406,420,467,468,471** और **120-**बी के अंतर्गत अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।**[**पैरा **7] [513-**डी**-**ई**]**

/

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 136।

2019 के आवेदन यू/एस 482 No.47634 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 03.01.2020 से।अशोक कुमार शर्मा, प्रमोद कुमार दुबे, वरिष्ठ अधिवक्ता।, परमानंद गौर, विकल्प मुद्गल, एकनाथ बंसल, वैभव मिश्रा, अजय सिंह, अमित कुमार, अनुराग एंडले, राहुल प्रताप सिंह, सुश्री अलका सिन्हा, अभिषेक अत्रे, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

/

आर. के. रायजादा, ए. ए. जी., सर्वेश सिंह बघेल, श्रीश कुमार मिश्रा, संतोष कुमार, सुश्री प्रिया पुरी, मुकेश राणा, सुश्री ममता, सुश्री स्मृति सिन्हा, रंजय दुबे, यति शर्मा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

एम. आर. शाह, जे.

/

1. इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा 2019 की धारा 482 संख्या 47634 के अंतर्गत एक आवेदन में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया है और ए

/

511

एसएमटी। रेखा जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

धारा 482 Cr.P.C के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए, मूल अभियुक्त संख्या 2 और 3-इसमें अपीलकर्ता-श्रीमती. रेखा जैन और श्रीमती. मीनाक्षी जैन ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।2. कि प्रतिवादी संख्या 156 (3) <आई. डी. 2. के अंतर्गत शिकायत के आधार पर-मूल शिकायतकर्ता, 2019 की धारा 406,420,467,468,471 और 120-बी भारतीय दंड संहिता सी., दंड प्रक्रिया संहिता हापुड़ नगर, जिला हापुड़ के अंतर्गत अपीलकर्ताओं सहित छह अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया था।2.1 एफ. आई. आर. में कहा गया है कि एक अरुण कुमार माहेश्वरी (सह-अभियुक्त) ने पहले शिकायतकर्ता और अन्य व्यक्तियों के धन का दुरुपयोग एक कुबेर म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड (वर्ष 1998-1999 में) में जमा करने के लिए किया था, और धन वापस किए बिना हापुड़ से भाग गया था, जिसके कारण, प्रश्न संपत्ति को शिकायतकर्ता-प्रदीप सिंघल और एक बिजेंद्र माहेश्वरी द्वारा कुर्क किया गया था और हिरासत में दिया गया था, और अब आरोपी ने धोखाधड़ी से सह-अभियुक्त श्रीमती को प्रश्न संपत्ति बेच दी है। रेखा जैन और श्रीमती. मीनाक्षी जैन (यहाँ अपीलकर्ता)।

/

/

/

2.2 कि इसमें अपीलकर्ताओं और अन्य सह-अभियुक्तों ने धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए वर्तमान आवेदन के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया है।अतः अभियुक्त, श्रीमती। रेखा जैन और श्रीमती. मीनाक्षी जैन ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

3. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील-अभियुक्त ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं करने में गंभीर त्रुटि की है।

/

3.1 अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुख्य आरोप अरुण कुमार माहेश्वरी और अन्य के खिलाफ हैं और वह भी 1995-1999 के बीच जमा की गई राशि के दुरुपयोग के अपराधों के लिए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता प्रश्न संपत्ति के प्रामाणिक खरीदार हैं, जो न तो कुर्क की गई संपत्ति थी और न ही अपीलकर्ताओं द्वारा खरीदे जाने के समय किसी विवाद का विषय था।

/

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि F.I.R./complaint में आरोपों को नंगे पढ़ने पर, अपीलार्थियों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया जाता है

/

इस आरोप को छोड़कर कि अपीलकर्ताओं ने संपत्ति खरीदी है, जो कथित रूप से एक कुर्क की गई संपत्ति है, अपराधों का आरोप लगाया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब अपीलकर्ताओं ने संपत्ति खरीदी थी, उस समय न तो कोई कुर्की दर्ज की गई थी और न ही कोई कुर्की मौजूद थी।3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस आरोप को छोड़कर कि अपीलकर्ताओं ने तथाकथित कुर्क की गई संपत्ति खरीदी है, आगे कोई और आरोप नहीं हैं जिनके द्वारा यह कहा जा सके कि अपीलकर्ताओं ने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 406,420,467,468,471 और 120-बी के अंतर्गत अपराध किए हैं।

/

3.4 इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग और उनके लिए अनावश्यक उत्पीड़न के अलावा और कुछ नहीं है।इसलिए, धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता 4 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया जाता है।राज्य की ओर से उपस्थित अपर महाधिवक्ता श्री आर. के. रायजादा ने यह कहते हुए वर्तमान अपील का विरोध करने का प्रयास किया कि जांच के बाद आरोप पत्र दायर कर दिया गया है और इसलिए वर्तमान आपराधिक कार्यवाही को इस स्तर पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए।तथापि, जब राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील से अपीलार्थियों को सौंपी गई वास्तविक भूमिका के बारे में और कथित अपराधों और अन्य आरोपों के लिए अपीलार्थियों के खिलाफ किसी भी सामग्री को इंगित करने के लिए एक स्पष्ट प्रश्न पूछा गया था, सिवाय इस आरोप के कि अपीलार्थियों ने संपत्ति खरीदी है, तो राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील अपीलार्थियों के खिलाफ किसी अन्य सामग्री को इंगित करने की स्थिति में नहीं थे, जिसके द्वारा यह कहा जा सकता है कि कोई भी प्रथम दृष्टया मामला अपीलार्थियों के खिलाफ कथित अपराधों के लिए बनाया गया है।

/

/

/

5. मूल शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील-प्रतिवादी संख्या 2 ने एक जवाबी शपथपत्र दायर किया है जिसमें कहा गया है कि सही तथ्यों को जानने के बाद, अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

/

6. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और शिकायत/एफ. आई. आर. में आरोपों का अध्ययन करने के बाद, यह देखा जा सकता है कि मुख्य आरोप अन्य सह-अभियुक्त-अरुण कुमार माहेश्वरी और अन्य के खिलाफ हैं।अपीलार्थियों के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि उन्होंने प्रश्न संपत्ति खरीदी है, जिसे वर्ष 1998-1999 में जमाकर्ताओं को देय और देय राशि के खिलाफ कुर्क किया गया था, जिन्होंने 1998-1999 के बीच कुबेर म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड में जमा किया था।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संपत्ति ए रही है

/

/

अपीलार्थियों द्वारा वर्ष 2019 में खरीदा गया।अभिलेख पर कुछ भी नहीं लाया गया है कि उस समय जब संपत्ति अपीलार्थियों द्वारा खरीदी गई थी, कुर्की जारी रखी गई थी और/या कोई कुर्की दर्ज की गई थी।ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अपीलार्थी अन्य सह-अभियुक्त अरुण कुमार माहेश्वरी और अन्य लोगों से संबंधित हैं।एफ. आई. आर. के कथनों और आरोपों से भी यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 406,420,467,468,471 और 120-बी के अंतर्गत अपराधों के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है। मुख्य आरोप अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ हैं।इसलिए, अपीलार्थियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना विधि की प्रक्रिया और न्यायालय का दुरुपयोग होगा और अपीलार्थियों को अनावश्यक रूप से परेशान करना होगा, जो बिक्री के भुगतान पर संपत्ति के खरीदार प्रतीत होते हैं।मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता 482 के अंतर्गत अपनी शक्तियों और विवेक का प्रयोग करना चाहिए था और अपीलार्थियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना चाहिए था।

/

/

7. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त और निरस्त किया जाता है।भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 406,420,467,468,471 और 120-बी, पी. एस. हापुड़ नगर, जिला हापुड़ के अंतर्गत अपराधों के लिए 2019 के मामला अपराध संख्या 48 से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही, जिसमें आरोप पत्र भी शामिल है, को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अपीलकर्ताओं को अलग रखा जाता है। रेखा जैन और श्रीमती. मीनाक्षी जैन चिंतित हैं।

/

/

तदनुसार वर्तमान अपील की अनुज्ञात है।

/

अपील अनुज्ञात ।

/

/

/